न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57/2017 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. हजारीलाल पुत्र बलदेव जाति मीना निवासी बीछा हाल तहसील रामगढ पचवारा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र नाथ्या
2. जगदीश पुत्र नाथ्या
3. हरनारायण पुत्र बद्री
4. गिर्राज पुत्र बद्री
5. रमेश पुत्र बद्री
6. रणजीता पुत्र श्रवण
7. रामसहाय पुत्र श्रवण
8. हरसहाय पुत्र बलदेव

जाति मीना निवासी बीछा हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

9. सरकार जरिये तहसीलदार हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
10. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा उनवानी बलदेव बनाम गंगासहाय आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— 1. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ताउपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 1 लगा0 8 बावजूद तामील अनुपस्थित।

—:आदेशः— दिनांक 13.6.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 के पिता स्व0 बलदेव ने एक दावा अधिघोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 06.7.2005 को उनवानी बलदेव बनाम गंगासहाय आदि पेश किया गया था। जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण से उक्त उनवानी प्रकरण बलदेव बनाम गंगासहाय को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा की टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 के पिता स्व0 बलदेव ने एक दावा अधिघोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 06.7.2005 को उनवानी बलदेव बनाम गंगासहाय आदि पेश किया गया था। दौराने दावा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 14.5.2010 को हो गया जिस पर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व सेट असाईड ऑफ अबैटमेन्ट का दिनांक 31.1.2011 को पेश किया जो प्रार्थना पत्र बहस हेतु चल रहा था। इसी दौरान अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 द्वारा एक प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 15.9.2017 को पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा विधि के विपरीत कार्यवाही करके अप्रार्थी सं0 1 लगाय 7 से मिलकर दावा को निरस्त करने पर आमादा हो रहे हैं इसलिये प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश फरमावें।

जबाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधिवक्तागण प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप की पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा विधि के विपरीत कार्यवाही करके अप्रार्थी सं0 1 लगाय 7 से मिलकर दावा को निरस्त करने पर आमादा हो रहे हैं, गलत है। किसी भी पत्रावली में किसी भी पक्षकार के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रकरण में दिनांक 1.12.2017 को पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तत्पश्चात प्रार्थी हजारीलाल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र कायम मुकामान स्वीकार किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण बलदेव बनाम गंगासहाय को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official